

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग।

अधिसूचना

अ० सू० सं०- रा० स्था०-12/2010 07

पटना, दिनांक- 02/02/2017

ऊर्जा विभाग, बिहार के अधीन विद्युत निरीक्षणालय, पटना, बिहार में विद्युत कार्यपालक अभियंता/समकक्ष (पे बैंड रू० 15600-39100/- ग्रेड पे०-6600/-) के निम्नांकित पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं० 4800 दिनांक-01.04.2016 एवं विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की अनुशांसा के आलोक में विद्युत अधीक्षण अभियंता/समकक्ष स्तर अपुनरीक्षित (पे बैंड 37,400-67,000/- ग्रेड पे रू 8700/-) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	2006 का कोटि क्रमांक	प्रोन्नत पद
01.	श्री वीरेन्द्र कुमार	02	मुख्य विद्युत निरीक्षक के तकनीकी सलाहकार
02.	श्री सुबीर कुमार	04	वरीय विद्युत निरीक्षक

- उपर्युक्त नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।
- इस आदेश के तहत दी जाने वाली संवर्गीय प्रोन्नतियों औपबंधिक होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस० एल० पी० (सी०) संख्या-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।
- वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3637 दिनांक 10.04.2013 की कंडिका-2 के आलोक में प्रोन्नति की तिथि से अथवा वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण कराने के संबंध में महालेखाकार, बिहार/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को एक माह के अन्दर विकल्प देना आवश्यक होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(विनोदा नन्द झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-रा० स्था०-12/2010

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

- उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 25 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-रा० स्था०-12/2010 1891

पटना, दिनांक- 02/02/2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मा० ऊर्जा मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ऊर्जा विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विद्युत निरीक्षणालय, बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।